राजस्थान सरकार

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला–बाड़मेर

[illegible] पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान [illegible] सांवा तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर	विप्रार्थीगण 1. सुलेमान पुत्र मीयादाद 2. मदत अली पुत्र सुलेमान निजाम पुत्र सुलेमान 4. हसन पुत्र सुलेमान 5. मो. सिद्दिक पुत्र सुलेमान 6. मुरादअली पुत्री आमद 7. रहमान खातु पुत्र असरफ 8.संचल पत्नी मुस्ताक अली 9. जुबेदा पत्नी इब्राहिम जाति मुसलमान निवासी सांवा तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 10. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा एवं उपपंजीयक धनाऊ जिला बाड़मेर।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 21 /2023

24/01/23 प्रार्थी के वकील श्री प्रवीण कुमार ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। विप्रार्थीगण को तलबी एवं जवाब वास्ते दिनांक 28.02.2023 को पेश हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में क्यास होता है, अतः जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबंद किया जाता है कि मौजा सांवा पटवार हल्का सांवा भू.अभिलेख निरीक्षक बुरहान का तला तहसील धनाऊ के खसरा सं. 582/118 रकबा 110.00 बीघा यानि 17.8061 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि पर विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करें। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 दिन में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम तहसीलदार धनाऊ को जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 28.02.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

28/2/23 अधिवक्तागण हड़ताल में होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 14/4/23 को पेश हो।

14/4/23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी अनु. हुमी ममपाद को अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया है तो इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मुमताद के संलग्न हो।

राजस्थान सरकार

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला–बाड़मेर

	विप्रार्थीगण
…हमद पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान … सांवा तहसील धनाऊ जिला बाडमेर	1. सुलेमान पुत्र मीयादाद 2. मदत अली पुत्र सुलेमान निजाम पुत्र सुलेमान 4. हसन पुत्र सुलेमान 5. मो. सिद्दिक पुत्र सुलेमान 6. मुरादअली पुत्री आमद 7. रहमान खातु पुत्र असरफ 8.संचल पत्नी मुश्ताक अली 9. जुबेदा पत्नी इब्राहिम जाति मुसलमान निवासी सांवा तहसील धनाऊ जिला बाडमेर 10. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा एवं उपपंजीयक धनाऊ जिला बाड़मेर।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 21 /2023

प्रार्थी के वकील श्री प्रवीण कुमार ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। विप्रार्थीगण को तलबी एवं जवाब वास्ते दिनांक 28.02.2023 को पेश हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में क्यास होता है, अतः जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबंद किया जाता है कि मौजा सांवा पटवार हल्का सांवा भू.अभिलेख निरीक्षक बुरहान का तला तहसील धनाऊ के खसरा सं. 582/118 रकबा 110.00 बीघा यानि 17.8061 हैक्टेयेर किस्म बारानी सोयम भूमि पर विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करें। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 दिन में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम तहसीलदार धनाऊ को जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 28.02.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

दिनांक :– 24/01/2023

क्रमांक/2023/187-195

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार एवं उपपंजीयक धनाऊ।
2. प्रार्थी मीर मोहम्मद पुत्र सुलेमान।
3. विप्रार्थीगण सुलेमान पुत्र मीयादाद।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर/बीजराड़/चौहटन/धनाऊ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा